अस्वीकरण

हिन्दी में अनुवादित संस्करण मात्र समझ हेतु है और इसका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और शासकीय उद्देश्यों के लिए, इसका मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कृष्णा अतिथि गृह, मथुरा और विशेश्वर गेस्ट हाउस, वाराणसी नियमावली, 2007

(दिनांक 29.04.2008 को यथासंशोधित)

नियम 1. इन नियमों का तात्पर्य कृष्णा अतिथि गृह, मथुरा और विशेश्वर गेस्ट हाउस, वाराणसी नियमावली, 2007 से है।

नियम 2. परिभाषाएं:

नियम 2(i). मुख्य न्यायाधीश का अर्थ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से है।

नियम 2(ii). समिति का अर्थ माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित तीन माननीय न्यायाधीशों की समिति से है। उनमें से एक मथुरा के प्रशासनिक न्यायाधीश और दूसरे वाराणसी के प्रशासनिक न्यायाधीश होंगे।

नियम 2(iii) विभाग का अर्थ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का प्रोटोकॉल विभाग है।

नियम 2(IV) माननीय न्यायाधीश का अर्थ माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जिनमें वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल हैं।

नियम 2(V) संयुक्त निबंधक (प्रोटोकॉल) का अर्थ संयुक्त निबंधक (प्रोटोकॉल), इलाहाबाद उच्च न्यायालय है।

नियम 2(VI) महानिबंधक का अर्थ महानिबंधक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है।

नियम 3. गेस्ट हाउस इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रोटोकॉल विभाग के नियंत्रण में रहेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संयुक्त निबंधक (प्रोटोकॉल), महानिबंधक की देखरेख में आबंटन सहित सभी मामलों के पूर्ण प्रभारी होंगे। गेस्ट हाउस के प्रबंधक/कार्यवाहक, आबंटन के मामले में ऊपर बताए गए संयुक्त निबंधक (प्रोटोकॉल) के प्रति जवाबदेह और उनकी देखरेख में कार्य करेंगे, और अन्य कार्यों (जैसे रखरखाव, खर्च इत्यादि) के लिए संबंधित जिला न्यायाधीश के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।

नियम 4. गेस्ट हाउस का रखरखाव मथुरा/वाराणसी के ज़िला न्यायाधीश के नियंत्रण और देखरेख में होगा, जो समिति की समग्र देखरेख के अधीन होगा।

नियम 5 (i) गेस्ट हाउस के कक्ष माननीय न्यायाधीशों और ज़िला न्यायाधीश के पद वाले अधिकारियों को आवंटित किए जाएंगे।

(ii): गेस्ट हाउस के कक्ष माननीय मुख्य न्यायाधीश की पूर्व अनुमति से किसी अन्य व्यक्ति को भी आवंटित किया जा सकता है।

नियम 6. यदि माननीय न्यायाधीश उनके साथ नहीं हैं, तो माननीय न्यायाधीश के अनुरोध पर उनके परिवार के सदस्यों को आवंटन किया जा सकता है।

नियम 7 (i) रहने के लिए शुल्क इस प्रकार होंगे:

	कमरे का किराया + रखरखाव शुल्क
एक कक्ष	100 रुपये प्रति दिन + 150 रुपये प्रति दिन।

किराये की रकम राज्य सरकार को भेज दी जाएगी और ₹150/- गेस्ट हाउस के प्रबंधक के पास रखे जाएंगे और नियम 7(v) के तहत खोले गए बैंक खाते में जमा किए जाएंगे।

नियम 7 (ii) शासकीय कार्य हेतु आने वाले माननीय न्यायधीशों के लिए गेस्ट हाउस का किराया 100 रुपये प्रति दिन होगा।

ऊपर बताए गए शुल्क अधिकतम तीन दिन तक ठहरने के लिए होंगे। अगर ठहरने की अवधि तीन दिन से अधिक होती है, तो शुल्क ऊपर बताई गई रकम का दोगुना हो जाएगा।

नियम 7(iii) प्रतिदिन मिलने वाली 100/- रुपये की राशि को प्रबंधक/कार्यवाहक एक अलग बैंक खाते में जमा करेंगे, जो इसी उद्देश्य के लिए खोला जाएगा।

नियम 7(iv) मथुरा/वाराणसी के ज़िला न्यायाधीश मेहमानों से वसूले गए किराए की रक़म को संबंधित अकाउंट हेड में जमा करेंगे।

> “0070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-01- न्याय प्रशासन - 800 - अन्य प्राप्तियां - 08 - इमारतों का किराया”

नियम 7 (v) जिला न्यायाधीश, मथुरा/वाराणसी राष्ट्रीयकृत बैंक में "कृष्णा गेस्ट हाउस" / "विशेश्वर गेस्ट हाउस" के नाम से एक बचत बैंक खाता खोलेंगे और उसमें अतिथियों से प्राप्त भरण-पोषण शुल्क जमा करेंगे।

नियम 7 (vi) मथुरा/वाराणसी के ज़िला न्यायाधीश को रखरखाव शुल्क की राशि का उपयोग चाय, बिस्कुट, अख़बार, साबुन, शैम्पू आदि उपलब्ध कराने और साथ ही बेड शीट, तकिए के कवर, तौलिए आदि की धुलाई के खर्च के लिए करने की अनुमति है।

नियम 7(vii) मथुरा/वाराणसी के ज़िला न्यायाधीश समिति को तिमाही विवरण सौंपेंगे, जिसमें (a) मेहमानों से प्राप्त राशि और (b) रखरखाव पर खर्च की गई राशि की जानकारी होगी, ताकि समिति उसका अवलोकन कर सके। समिति के निर्देशों पर सालाना ऑडिट निरीक्षण किया जा सकता है।

नियम 8. राज्य अतिथि के रूप में आने वाले माननीय न्यायाधीशों को, मथुरा/वाराणसी के ज़िला मजिस्ट्रेट/ज़िला न्यायाधीश या उनकी ओर से काम करने वाले किसी अन्य अधिकारी के अनुरोध पर, 250 रुपये प्रति दिन के कमरे के किराए और रखरखाव शुल्क के भुगतान पर रहने की सुविधा दी जाएगी। राजकीय अतिथि के तौर पर आने वाले व्यक्ति को आवास के बारे में कोई भी

प्रतिबद्धता करने से पहले, ज़िला मजिस्ट्रेट/ज़िला न्यायाधीश को संयुक्त निबंधक (प्रोटोकॉल) से आवास की उपलब्धता की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

ऐसे आगंतुकों के लिए सारी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा, यानी राज्य सरकार की ओर से मथुरा/वाराणसी के ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।

नियम 9. गेस्ट हाउस में आते और जाते समय माननीय अतिथि द्वारा भरा जाने वाला एक रजिस्टर होगा।

नियम 10. गेस्ट हाउस में पहुँचने के समय से 24 घंटे की अवधि को एक दिन माना जाता है।

नियम 11(i) गेस्ट हाउस में ठहरने वाले मेहमानों के जाने के समय, उनसे किराया और रखरखाव शुल्क के भुगतान के लिए अलग-अलग रसीदें जारी की जाएंगी।

नियम 11 (ii) यह प्रबंधक/कार्यवाहक की ज़िम्मेदारी होगी कि वे आश्वस्त हों कि गेस्ट हाउस से जाने से पहले गेस्ट से किराया और रखरखाव शुल्क वसूल कर लिए जाएं और उनकी रसीद दे दी जाए। किराया और रखरखाव के भुगतान के लिए अलग-अलग रसीदें जारी की जाएंगी।

नियम 12. खाने का खर्च वास्तविक आधार पर लिया जाएगा। हालाँकि, सुबह और दोपहर में तथा आगंतुकों के आने पर चाय/कॉफ़ी/बिस्कुट मुफ़्त उपलब्ध कराए जाएँगे।

नियम 13. गेस्ट हाउस में शराब का सेवन और मांसाहारी भोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

नियम 14. गेस्ट हाउस में ठहरने वाले मेहमानों के लिए तीन समाचार-पत्र मंगाए जाएंगे।

नियम 15. सभी सम्मानित अतिथियों को स्थानीय फोन कॉल की सुविधा निःशुल्क मिलेगी। एस.टी.डी. कॉल की अनुमति नहीं होगी।

नियम 16. गेस्ट हाउस के प्रभारी के तौर पर एक प्रबंधक/कार्यवाहक होगा, जिसका पद मुंसरिम/रीडर के पद से कम नहीं होगा। वह मथुरा/वाराणसी के ज़िला न्यायाधीश के देखरेख और नियंत्रण में कार्य करेगा।

नियम 17. गेस्ट हाउस में प्रबंधक/कार्यवाहक के अतिरिक्त, दो चपरासी-सह-रसोइये, दो चपरासी, एक सफाईकर्मी, एक फर्राश, दो गार्ड और एक माली तैनात होंगे।

समाप्त